

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: प. 9 (118) आ.उ./पीएम कुसुम/जीएल/2025-26/ 5781-5980

दिनांक:- 26.3.2025

समस्त उप निदेशक उद्यान

विषय:- "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)" योजना के कम्पोनेंट- बी अन्तर्गत स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु वर्ष 2025-26 के दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)" कम्पोनेंट-बी स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के दिशा-निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के बजट घोषणा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60000 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित कराकर भुगतान किया जाना है जिनका जिलेवार लक्ष्यों का आवंटन शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। अतः जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि योजना दिशा-निर्देशानुसार प्रचार-प्रसार कर राजकिसान साथी पोर्टल पर कृषकों के आवेदन करावें ताकि समय पर लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकें।

संलग्न:- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दिशा-निर्देश

(सुरेश कुमार ओला)
आयुक्त उद्यानिकी,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 9 (118) आ.उ./पीएम कुसुम/जीएल/2025-26/ 5781-5980

दिनांक:- 26.3.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी (समस्त जिले)
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
7. लीड बैंक अधिकारीजिला
8. समस्त खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार
9. समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक उद्यान
10. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार (जिला परिषद)
11. समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि.)
12. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्मस्
13. आरक्षी पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Surish Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.26 18:16:53 IST
Reason: Approved



“प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)”

स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पम्प परियोजना (कम्पोनेन्ट ‘बी’)

दिशानिर्देश वर्ष 2025-26

1. प्रस्तावना:-

राज्य में सौर ऊर्जा की अपार सम्भावना को ध्यान में रखते हुये उद्यान विभाग द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), भारत सरकार की “प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM)” कम्पोनेन्ट ‘बी’ अन्तर्गत कृषकों को हाईटेक उद्यानिकी/कृषि कार्य के लिए सिंचाई हेतु 3 से 7.5 एचपी पम्प क्षमता तक स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेगे। यह परियोजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) तथा राज्य योजना के तहत क्रियान्वित की जावेगी।

योजना का उद्देश्य जिन कृषकों के पास सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है एवं सिंचाई के लिये डीजल चलित संयंत्र अथवा अन्य ऑफ ग्रिड वैकल्पिक साधन पर निर्भर है, उन्हें सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाये जायेगें।

2. कृषक चयन पात्रता:-

1. कृषक द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई हेतु ड्रिप/मिनि स्प्रिंकलर/माइक्रो स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर संयंत्र आवश्यक रूप से काम में लिया जावें।
2. उच्च उद्यानिकी तकनीक यथा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो-टनल्स आदि लेने वाले कृषक भी पात्र होंगे।
3. कृषक द्वारा कृषि विद्युत कनेक्शन विहित होने, अपने भू-स्वामित्व में जलस्रोत होने तथा डीजल चलित संयंत्र से सिंचाई करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर, योजना हेतु पात्र माना जायेगा (संलग्नक-1)।
4. कृषक द्वारा उसके भू-स्वामित्व में सिंचाई हेतु जल संग्रहण ढांचा, डिग्गी, फार्म पौण्ड व जलहौज निर्मित हो तो, कृषक द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर योजना हेतु पात्र माना जावेगा।
5. योजना में यथासम्भव लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।
6. जिन कृषकों के पास कृषि विद्युत कनेक्शन है या सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर लिया है। ऐसे कृषक इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।

3. सौर पम्प संयंत्र हेतु आवश्यक भू-स्वामित्व

1. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 है० का भू-स्वामित्व होना आवश्यक है।
2. अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति कृषको हेतु 3 व 5 एचपी क्षमता के पम्प संयंत्रों हेतु न्यूनतम 0.2 है० का भू-स्वामित्व होना आवश्यक है।

संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

4. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र हेतु प्राथमिकता का निर्धारण, पत्रावलियों को पूर्ण करना एवं संचालन प्रक्रिया :-

1. कृषक द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा आवेदन किया जायेगा।
2. राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का ऑनलाईन छंटनी अथवा निस्तारण जिला कार्यालयों द्वारा किया जावेगा।
3. लाभान्वित कृषकों की सूची जिला कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विद्युत विभाग को भेजी जावेगी एवं भविष्य में उन्हें कृषि विद्युत कनेक्शन स्थापना पर अनुदान देय नहीं होगा।

5. अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची:-

1. कृषक का जनआधार कार्ड।
2. भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व)
3. सिंचाई जल स्रोत व कृषि विद्युत कनेक्शन न होने का शपथ (संलग्नक- 1)

6. जिलेवार आवंटित लक्ष्य:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के तहत राज्य में 60 हजार सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाये जाने की कार्ययोजना है। जिलेवार लक्ष्यों का आवंटन अलग से भिजवाया जा रहा है।

7. पम्प क्षमता निर्धारण व तकनीकी मापदण्ड

1. तकनीकी सर्वे के आधार पर पम्प क्षमता व प्रकार का निर्धारण किया जायेगा। तकनीकी सर्वे अनुसार कृषक द्वारा आवेदित पम्प क्षमता में बदलाव किया जा सकेगा।
2. संयंत्रों के तकनीकी मापदण्ड एवं विभिन्न पम्पस् वांछित जल डिस्चार्ज मापदण्ड एमएनआरई के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार (स्कोप ऑफ वर्क) के अनुसार रहेंगे।

8. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म

पीएम कुसुम कम्पोनेंट- बी सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के लिये निम्न फर्म अधिकृत है:-

S.N.	Name of firms	Address
1	M/s Alpex Solar Limited	Plot No. I-25-26, Site-5, UPSIDC, Surajpur Industrial Area, Kasna, Greater Noida, Distt. Gautambudh Nagar (U.P.)- 201306
2	M/s Australian Premium Solar (India) Limited	At & Post- Tajpur, N.H. 08, Ta. Prantij, District:- Sabarkantha, Gujarat- 383205
3	M/s AVI Appliances Pvt Ltd with Consortium Member Ritika Systems Pvt. Ltd.	65,66, Narayan Industrial Estate, Opp. Raipur Mill Compound, Saraspur, Ahmedabad - 380018
4	M/s CRI Pumps Private Limited	7/46-1 , Keeranatham Road , Saravanamapatti, Coimbatore - 641035
5	M/s Crompton Greaves Consumer Electricals Limited with Consortium Member Claro Energy Private Limited	Tower-3, 1st Floor, Equinox Business Park, Lal Bhahadur Shastri Rd, Kurla West, Mumbai, Maharashtra- 400070
6	M/s Duke Pumping Solutions Private Limited with Consortium Member Desire Energy Solutions Pvt. Ltd.	N.H.No.27, Opp. Hotel Greenwood, Deesa Highway, Badarpura-Palanpur, 385510, Gujarat

9
(दिनवार वर्मा)
संयुक्त निदेशक उद्यान
आयुक्तालय, जयपुर

7	M/s Dynamech Electropower Pvt. Ltd.	55 & 56-A, Sector - H, Govindpura Industrial Area, Bhopal Madhya Pradesh -462023
	M/s Dynamech Electropower Pvt Ltd with Consortium Member RAAJRATNA VENTURES LTD	55 & 56-A, Sector - H, Govindpura Industrial Area, Bhopal Madhya Pradesh -462023
8	M/s Ecozen Solutions Pvt Ltd	301, Vaishnavi Apartment, Vijayanand Gruha Nirman Sahkari Sanstha, Narendra Nagar, Nagpur (Maharashtra)- 440015
	M/s Ecozen Solutions Pvt. Ltd. with Consortium Member Icon Solar-EN Power Technologies Pvt. Ltd.	Survey No. 134/1, 134/2, 130/3, Dehu Road, Katraj Bypass, Tathawade, Pune - 411 033, Maharashtra, India
9	M/s G K Energy Marketers Pvt Limited with Consortium Member M/s Redren Energy Private Limited	Office No. 802, CTS, No. 97-A-1/57/2, Suyog Center, Pune City, Pune CB, Maharashtra- 411037
10	M/s Goldi Solar Private Limited	1009,10th Floor, Infinity Tower, Beside Ayurvedic College, Nr. Railway Station, Surat- 395003, Gujarat, India
	M/s Goldi Solar Private Limited with Consortium Member Pearl Energy Solutions India Private Limited	1009,10th Floor, Infinity Tower, Beside Ayurvedic College, Nr. Railway Station, Surat- 395003, Gujarat, India
11	M/s Greenworld Solarwares Pvt Limited with Consortium Member M/s Lavent solar private limited	Nakti Road, Near PTS Mana Chowk, VIP Road, Dharampura, Raipur (CG)-492001
12	M/s Jain Irrigation Systems Ltd.	Jain Plastic park, P.O. Box: 72, N.H. No. 6, Jalgaon- 425001
13	M/s Kosol Energie Pvt Limited	" Kalthia house " 193 Satyagrah Chhavni, opposite Iscon mega mall, S G Highway, Ahmedabad-380015 Gujrat
14	M/s KSB Limited with Consortium Member M/s Younity Energy Pvt. Ltd.	Standard Pump Division, Plot No.- E3 & E4 - MIDC,SINNAR, NASIK, MAHARASHTRA - 422113
	M/s KSB Limited with Consortium Member Ganesh Electricals Pvt Limited	E3 & E4 - MIDC,SINNAR, NASIK, MAHARASHTRA - 422113
15	M/s KSL Cleantech Limited	10 A, Middleton Row, 2nd floor, Kolkata- 700071
16	M/s Latteys Industries Limited with Consortium Member M/s Amigo Energies	Plot No. 16, Phase1/2, GIDC Estate, Naroda, Ahmedabad-382330 Gujarat
17	M/s Mira Energy Resources Pvt Ltd with Consortium Member SILVER CONSUMER ELECTRICALS PVT LTD	D1603, MARVEL ALBERO , KHADI MACHINE CHOWK, KONDHWA BK , PUNE 411048
18	M/s Nobtech Enterprise with Consortium Member M/s Span Pumps Pvt. Ltd.	129-C, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali West, Mumbai- 400067
19	M/s Oswal Pumps Limited	Oswal Estate, NH-1, Kutail Rd, P.O, Kutail, Industrial area, Haryana 132037
	M/s Oswal Pumps Limited with Consortium Member Sunrisers Solar Private Limited	Oswal Estate, NH-1, Kutail Rd, P.O, Kutail, Haryana 132037 FIRST FLOOR, FLAT NO-F-101,SR NO- 31,32,GODREJ PRANA,PUNE
20	M/s Paarth Solar Pumps Private Limited with Consortium Member M/s Shree Ganesh Irrigation systems	22, Sanskar Industrial Hub- 2, Village Bakrol, Bujrang, Taluka-Daskroi, Ahmedabad- Gujarat- 382430
21	M/s PV Power Technologies Pvt. Limited	B-907, Kanakia Wall Street, Chakala, Andheri kurla road, Andheri East, Mumbai- 400093
22	M/s Rite Water Solutions (I) Ltd. with Consortium Member M/s. Mecwin Technologies India Pvt. Ltd.	K-60, M.I.D.C., Industrial Area, Hingna Road, Nagpur-440016, [MH]
23	M/s Rotomag Motors and Controls Pvt. Ltd	2102/3 & 4, GIDC Vitthal Udhyog Nagar, Near Anand, Gujarat-388121
24	M/s Shakti Pumps India Ltd	Plot No. 401,402 &413 Industrial Area Sector-3 Pithampur Distt. Dhar - 454774 (M.P.)


(दानवीर वर्मा)

25	M/s Silver Consumer Electricals Pvt Ltd with Consortium Member M/s Mira Energy Resources Pvt Ltd	Plot No. 3 of R.S. No 37 & 38, Plot No. 5 of 47/1, Plot No 1 of R.S No. 36 & 43 to 46, Plot No. 6 of 38 Rajkot, Haripar, Tarvada- Lodhika, Haripar, Taravada, Rajkot- Gujarat-360035
26	M/s Solartive Techno Industries Pvt Ltd with Consortium Member M/s Greensol Renewable Power Pvt. Ltd.	K 312 Site 5 Kasna Industrial Area Kasna Greater Noida, Gautambudh Nagar UP- 201310
27	M/s Surya International Enterprise Pvt Ltd	A- 24, HIG Duplex, Phase-2, Anant Vihar, Pokhariput, Bhubaneswar, Odisha, India- 751020
28	M/s Topsun Energy Ltd	B-101, GIDC, Electronic Zone, Sector-25, Gandhinagar, Gujarat -382028
29	M/s Sahaj Solar Ltd	301, Ashirwad Paras, Corporate Road, Opp. Prahlad Nagar Garden, Satellite, Ahmedabad- 380015
30	M/s Himalayan Solar Private Limited with Consortium Member M/s Apricate Power Pvt. Ltd.	Plot No. 237, HSIIDC Industrial Estate, Alipur, Barwala, Panchkula, Haryana-134118
	Himalayan Solar Private Limited with Consortium Member DCC Buildcon Private Limited	Plot No. 237, HSIIDC Industrial Estate, Alipur, Barwala, Panchkula, Haryana-134118
31	M/s Everrenew Energy Private Ltd. with Consortium Member M/s Sova Solar Ltd.	2nd Floor, B Block, Aneja Towers, Plot No. 4 & 5 Industrial Estate Perungudi, Chennai 600 096 Tamil Nadu
	Everrenew Eneergy Private Ltd with Consortium Member Mahendra Pumps Private Ltd	Aneja Towers, 2nd Floor, B-Wing, 4 & 5 Developed Industrial Estate Perungudi, OMR, Chennai 600 096 Tamil Nadu
32	M/s PCI Infra Projects Pvt. Ltd. with Consortium Member M/s VTECH Engineers	A-16F/F, Vivek Vihar PH II, Opp Main Market, Delhi, New Delhi- 110095

9. अनुदान

1. पीएम कुसुम कम्पोनेंट- बी के तहत ऑफ ग्रिड स्टेण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प परियोजना अन्तर्गत 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत केन्द्रीय मद तथा 30 प्रतिशत राज्य मद) अनुदान देय होगा।
2. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7.5 एचपी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों तक ही अनुदान का प्रावधान किया गया है यदि कृषकों द्वारा इससे अधिकतम क्षमता 10 एचपी तक का पम्प स्थापित कराया जाता है तो समस्त अन्तर राशि कृषक द्वारा वहन की जावेगी।
3. कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि कुल लागत का शेष 40 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की जावेगी। कृषक द्वारा वहन की जाने वाली लागत की 40 प्रतिशत राशि में से 30 प्रतिशत तक की राशि का, कृषक बैंक ऋण भी प्राप्त कर सकता है।

10. आधार दर:-

पीएम कुसुम कम्पोनेंट- बी सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की निर्धारित दरें एवं अनुदान निम्नानुसार है:-

S.N.	Pump Category	Cost with GST	Subsidy	Farmer share
1	3 HP AC Surface normal controller	212064	114314	97750
2	3 HP DC Surface normal controller	212064	114314	97750
3	3 HP AC Submercible normal controller	215438	114314	101124
4	3 HP DC Submercible normal controller	215438	114314	101124
5	3 HP AC Surface USPC controller	247515	114314	133201
6	3 HP DC Surface USPC controller	254912	114314	140598

7	3 HP AC Submercible USPC controller	253205	114314	138891
8	3 HP DC Submercible USPC controller	259352	114314	145038
9	5 HP AC Surface normal controller	303485	176100	127385
10	5 HP DC Surface normal controller	303485	176100	127385
11	5 HP AC Submercible normal controller	305321	176100	129221
12	5 HP DC Submercible normal controller	305321	176100	129221
13	5 HP AC Surface USPC controller	355625	176100	179525
14	5 HP DC Surface USPC controller	365867	176100	189767
15	5 HP AC Submercible USPC controller	361429	176100	185329
16	5 HP DC Submercible USPC controller	364160	176100	188060
17	7.5 HP AC Surface normal controller	417577	238684	178893
18	7.5 HP DC Surface normal controller	429456	238684	190772
19	7.5 HP AC Submercible normal controller	420121	238684	181437
20	7.5 HP DC Submercible normal controller	453322	238684	214638
21	7.5 HP AC Surface USPC controller	472839	238684	234155
22	7.5 HP DC Surface USPC controller	488543	238684	249859
23	7.5 HP AC Submercible USPC controller	476822	238684	238138
24	7.5 HP DC Submercible USPC controller	483650	238684	244966
25	10 HP AC Submercible normal controller	581239	238684	342555
26	10 HP DC Submercible normal controller	581239	238684	342555
27	10 HP AC Submercible USPC controller	628764	238684	390080
28	10 HP DC Submercible USPC controller	628764	238684	390080

11. अनुदान प्रक्रिया

1. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से निर्धारित दरो पर अनुबंधित/सूचीबद्ध फर्म द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना पर ही अनुदान देय होगा।
2. कृषक द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन किया जावेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन कृषक द्वारा किया जावेगा।
3. जिला उद्यान कार्यालय द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जांच /छंटनी की जाकर पात्र कृषकों के आवेदन ऑनलाईन ही तकनीकी सर्वे हेतु सम्बन्धित फर्म को भेजे जायेगे।
4. फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कृषक के जलस्रोत का तकनीकी सर्वे कर आवश्यकतानुसार पम्प का कोटेशन व तकनीकी सर्वे राजकिसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा।
5. इसके साथ ही पांच सौ रुपये के स्टाम्प पर त्रि-पार्टी अनुबंध (संलग्नक- 2) कर पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड किया जायेगा तथा मूल प्रति जिला कार्यालय में ऑफलाईन प्रस्तुत की जायेगी, जिसका संधारण जिला उद्यान कार्यालय स्तर पर किया जायेगा।
6. जिला कार्यालय द्वारा कृषक की ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
7. ऑनलाईन स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि राजकिसान साथी पोर्टल पर दिये लिंक अनुसार ही ई-मित्र या ECS/DD के माध्यम से जिला होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (DHDS) के बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।



(दानवीर वर्मा)

संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

8. कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के उपरान्त जिला उद्यान कार्यालय द्वारा तत्काल ऑनलाईन ही नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी किया जायेगा।
9. सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की स्थापना कार्य नोटिस टू प्रोसिड अर्थात् कार्यादेश जारी होने के अधिकतम 120 दिवस में किया जाना निर्धारित है निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति कर स्थापना कार्य सम्पन्न नहीं करने पर सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म पर नियमानुसार शास्ति कटौती की जावेगी। कृषक हित को ध्यान में रखते हुये कार्यादेश जारी होने के यथासम्भव 30 दिवस में ही सामग्री आपूर्ति कर सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का स्थापना कार्य किया जाना उचित होगा।
10. फर्म द्वारा पम्प संयंत्र स्थापना कर राजकिसान साथी पोर्टल पर ही पम्प का विस्तृत विवरण यथा पैनल सीरियल क्रमांक, पम्प व कन्ट्रोलर नम्बर आदि अंकित किये जायेंगे। फर्म द्वारा संयंत्र का बिल जारी कर पोर्टल पर ऑनलाईन स्केन कर अपलोड किया जायेगा, साथ ही फर्म द्वारा संयंत्र का बीमा कराया जायेगा जिसकी प्रति पोर्टल पर ऑनलाईन स्केन कर अपलोड की जायेगी।
11. जिला होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (DHDS) स्तर से संयंत्र स्थापना के 7 दिवस में संयंत्र का निर्धारित मोबाईल एप द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

12. कृषक हिस्सा एवं अनुदान राशि का भुगतान

1. **भुगतान** – उद्यान आयुक्तालय द्वारा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता फर्म को 2 चरणों में किया जावेगा –

(अ) **प्रथम चरण में 90 प्रतिशत राशि का भुगतान:-** फर्म द्वारा कार्यादेश अनुसार सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कृषक के खेत पर स्थापित किये जाने तथा विभागीय भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् जमा 40 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि जिला कार्यालय से तथा 50 प्रतिशत अनुदान राशि (30 प्रतिशत राज्य मद से + 20 प्रतिशत केन्द्रीय मद से) उद्यान आयुक्तालय स्तर से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार भुगतान किया जावेगा।

(ब) **द्वितीय चरण में शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान:-** फर्म द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित कर पीएम कुसुम पोर्टल पर 90 दिवस का ऑनलाईन डाटा उपलब्ध होने के पश्चात् नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार किया जावेगा।

13. जिला कार्यालय के दायित्व:-

1. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र के भौतिक सत्यापन हेतु कोई भी एक अधिकारी (कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि एवं उद्यान विभाग के उच्चतर अधिकारी) द्वारा, कृषक व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन किया जावेगा। भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार कृषि विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।

2. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र के भौतिक सत्यापन के दौरान पम्प संयंत्र की चार फोटो यथा फाउन्डेशन, स्ट्रक्चर, कन्ट्रोलर तथा पानी डिस्चार्ज करते हुये पूर्ण सिस्टम कृषक के साथ राजकिसान साथी पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. जिला उद्यान कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत कार्यकारी फर्म को कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जायेगा तथा अनुदान भुगतान हेतु उद्यान आयुक्तालय को पोर्टल पर ऑनलाईन ही प्रस्तुत करेगा।
4. भौतिक सत्यापन हेतु कमेटी द्वारा निर्धारित संलग्नक- 3 में Joint Commissioning Report (JCR) अपलोड की जावेगी जिस पर भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी, कृषक तथा फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षरशुदा Joint Commissioning Report (JCR) अपलोड की जावेगी।

14. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना से सम्बन्धित दायित्व:-

1. आपूर्तिकर्ता फर्म जिस श्रेणी के लिए सूचीबद्ध है उस हेतु सौर पम्प संयंत्र की डिजाइन, आपूर्ति, परिवहन, इरेक्शन, अर्थिंग का कार्य, लाइटिंग अरेस्टर, स्थापना, रिमोट मोनिटरिंग सिस्टम, रखरखाव, इन्श्योरेंस सहित योजना के दिशा-निर्देश, निविदा की शर्तें, लेटर ऑफ अवार्ड एवं योजना के तय मापदण्ड अनुसार ही सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना का सम्पूर्ण कार्य सम्पादित किया जायेगा।
2. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के अधिकृत तकनीकी प्रतिनिधि द्वारा तकनीकी सर्वे आवंटन के अधिकतम 15 दिवस में कृषक के खेत में स्थित जलस्रोत का विस्तृत सर्वे किया जाकर संयंत्र स्थापना की राजकिसान साथी पोर्टल के मोबाईल एप्प पर तकनीकी सर्वे कर आवश्यक पम्प क्षमता व प्रकार का निर्धारण किया जावेगा।
3. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आपूर्तित मॉड्यूल/पैनल नेम प्लेट आदि निर्धारित मापदण्ड व स्टैंडर्ड्स की होगी तथा इस पर "PM-KUSUM" अंकित होना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा एलओए की शर्तों के अनुसार 3/5 प्रतिशत राशि की सीपीजी राजस्थान होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (RHDS) में जमा किया जाना सुनिश्चित करेगी।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को संयंत्र संचालन एवं रखरखाव का मैनुअल प्रदान किया जायेगा एवं संयंत्र के समग्र बिन्दुओं पर कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा।
6. डिजाइन के अनुसार सिविल कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।
7. आपूर्तिकर्ता द्वारा सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना के मॉड्यूल माउंटिंग ढांचे की डिजाइन निविदा शर्तों के अनुसार होगा।
8. आपूर्तिकर्ता फर्म योजना के दिशा-निर्देश, निविदा की शर्तों एवं लेटर ऑफ अवार्ड की पालना करते हुए केवल स्वदेशी निर्मित सौर पैनल/मोड्यूल जो कि स्वदेशी सैल से निर्मित हो तथा मोटर-पम्प, कन्ट्रोलर एवं संयंत्र की अन्य सामग्री भी स्वदेशी निर्मित हो, का ही उपयोग सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना में करेगे, उल्लंघन की स्थिति में आपूर्तिकर्ता फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।



(दानवीर वर्मा)
संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

9. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना से पूर्व सम्बन्धित कम्पनी द्वारा कृषक के पानी के जल स्तर/उपलब्धता का निर्धारण अपने विशेषज्ञ से करवाकर यह सुनिश्चित करेगी की किस क्षमता का पम्प सैट लगाया जावे, पम्प का चुनाव/स्थापन उपरान्त निर्धारित मात्रा में पानी का डिस्चार्ज नही होने पर कम्पनी की जिम्मेदारी होगी।
10. आपूर्तिकर्ता प्रत्येक आपूर्ति किये जाने वाले मॉड्यूल/पेनल का IV-Curve DHDS को प्रस्तुत करेगा।
11. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र में या साथ रिमोट मोनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा।
12. आपूर्ति माल का पूर्ण विवरण राजकिसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा।
13. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा आयुक्तालय स्तर के दल से प्री-डिस्पेंच निरीक्षण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
14. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा प्री-डिस्पेंच निरीक्षण के लिये 07 कार्य दिवस पूर्व आयुक्तालय को सूचित करना होगा व MNRE के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार, एलओए व निविदा की शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों के आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री से सम्बन्धित सभी टेस्ट-रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
15. Outsourcing किए गये सामान के स्रोत की स्पष्ट जानकारी सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा दी जायेगी।
16. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना के सम्बन्ध में पैनल्टी/एलडी निविदा की शर्तों व एलओए के अनुसार होगी।
17. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा संयंत्र की स्थापना से पांच वर्ष की गारण्टी/वारण्टी प्रदान की जावेगी तथा इसके पश्चात् आगामी पांच वर्ष हेतु विक्रय पश्चात (After sales service) शुल्क लेकर सेवा प्रदान की जावेगी।
18. सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा कृषक के खेत पर स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का बीमा करवाया जायेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा बीमा से सम्बन्धित प्रक्रिया में देरी होने की स्थिति में स्वयं अपने स्तर पर कृषक की समस्या का समाधान 7 दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त की असफलता पर योजना के दिशा-निर्देश, निविदा की शर्तों व एलओए के अनुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
19. संयंत्र संचालन व रखरखाव सम्बन्धी साहित्य पुस्तिका (मैन्युअल) जो कि कृषक सुलभ हिन्दी भाषा में हो, लाभार्थियों को प्रदान की जावेगी।
20. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार कस्टमर केयर सेन्टर/सर्विस सेंटर स्थापित किया जावेगा तथा टोल फ्री नंबर की जानकारी प्रत्येक स्टेक होल्डर को उपलब्ध करानी होगी।
21. विगत वर्षों के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित प्रत्येक जिले में सर्विस सेन्टर स्थापित किया जाना आवश्यक होगा। उक्त केन्द्र पर सभी व्यवस्थाएँ निविदा की शर्तों अनुसार की जावेगी। सर्विस सेन्टर से सम्बन्धित सभी आवश्यक तकनीकी जानकारीयों, दूरभाष, मेल, टोल फ्री नम्बर व उत्तरदायी व्यक्ति की जानकारी इत्यादि

- सहित सूचना जिला उद्यान कार्यालय, उद्यान आयुक्तालय तथा कृषकों को उपलब्ध करानी होगी।
22. कार्यदायी फर्म द्वारा योजना की प्रगति-रिपोर्ट प्रत्येक माह एवं तिमाही के दौरान उद्यान विभाग को ऑनलाईन उपलब्ध करवानी होगी।
 23. कार्यदायी फर्म द्वारा स्थापित संयंत्रों का प्रत्येक तिमाही (अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर व जनवरी-मार्च) के दौरान निरीक्षण करना होगा।
 24. कार्यदायी फर्म द्वारा कृषकों को रखरखाव (मेन्टीनेंस) व योजना सम्बन्धी जानकारी प्रदान की जावेगी।
 25. कार्यदायी फर्म के स्तर से रखरखाव सम्बन्धी Clauses की गम्भीरता से पालना सुनिश्चित की जावेगी। जिससे लाभार्थियों को संयंत्र में किसी प्रकार के फाल्ट की स्थिति में इधर-उधर चक्कर न काटना पड़े।
 26. किसी प्रकार के फाल्ट की सूचना डाक, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल या अन्य तरीके से प्राप्त होने की स्थिति में तीन कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से साईट भ्रमण आदि जरिये से इस पर कार्यवाही की जावेगी।
 27. कार्यदायी फर्म से अपेक्षा की जाती है कि वह समुचित मात्रा में स्पेयर पार्ट का स्टॉक सर्विस सेन्टर्स पर रखे जिससे की संयंत्र शिकायत के 3 दिवस में आवश्यक रूप से पुनः चालू किया जा सकें।
 28. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्थापित सौर उर्जा पम्प संयंत्र योजना के दिशा-निर्देश, निविदा की शर्तों, एलओए तथा अनुबन्ध के अनुरूप नहीं पाये जाने पर अनुदान राशि नियमानुसार वसूली योग्य होगी तथा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा। जिसके निर्णय का अंतिम अधिकार आयुक्त उद्यानिकी को होगा।
 29. संयंत्रों के रखरखाव कार्य के विफलता की स्थिति में पैनल्टी/एलडी, निविदा की शर्तों व एलओए के अनुसार फर्म की बैंक गारण्टी रिवोक कर वसूल की जा सकेगी तथा पॉच या इससे अधिक संयंत्रों के रखरखाव की विफलता पर फर्म को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके निर्णय का अंतिम अधिकार आयुक्त उद्यानिकी को होगा।
 30. आपूर्तिकर्ता फर्म सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु योजना के दिशा-निर्देश, निविदा की शर्तों, एलओए अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण कार्य तथा उद्यान विभाग द्वारा प्रदत्त संयंत्र स्थापना सम्बन्धित अन्य आवश्यक विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादित करेगा।
 31. अनुबन्धित फर्मस् द्वारा पीएम कुसुम सेन्ट्रल पोर्टल व स्टेट पोर्टल पर जीवन्त मॉनिटरिंग हेतु आरएमएस इन्टीग्रेशन किया जाना व अन्य सूचनायें फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।


(दानवीर वर्मा)
संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

15. कृषक के दायित्व

1. कृषक द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। उद्यान विभाग के जांच में कमी होने पर कृषक को ऑनलाईन वापस भेजी गई पत्रावली में लगाये गये आक्षेप की अधिकतम 30 दिवस में पूर्ति कर पुनः अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक स्वीकृति उपरांत अधिकतम 30 दिवस में कृषक हिस्सा राशि ऑनलाईन/डिमान्ड ड्राफ्ट (डी0डी0) द्वारा जमा करवाना होगा।
2. कृषक द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र हेतु आवेदन उपरांत आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कृषक के खेत व जल स्रोत की सर्वे-रिपोर्ट अनुसार कम या ज्यादा क्षमता का पम्प संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया जाता है तथा योजना में कृषक की पात्रता उपयुक्त होने एवं सहमति पर तदनुसार सौर पम्प संयंत्र स्थापित किया जा सकेगा।
3. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की सामग्री आपूर्ति एवं स्थापना हेतु स्थल (छाया रहित कम से कम 60 वर्ग.मी.) एवं जल स्रोत उपलब्ध करवाना।
4. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की सामग्री आपूर्ति की प्राप्ति व स्थापना की पूर्णता तथा भौतिक सत्यापन व निरीक्षण कार्य यथासम्भव स्वयं लाभार्थी की उपस्थिति में किया जावेगा।
5. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का बीमा कार्यदायी फर्म द्वारा करवाया जायेगा। सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र के उचित रख-रखाव एवं सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी कृषक की होगी।
6. स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का संचालन कृषक द्वारा विद्युत/बिजली कनेक्शन से नहीं किया जावेगा, पाये जाने की स्थिति में कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
7. कृषक द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र के खुरद-बुरद करने की स्थिति में सम्बन्धित कृषक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी तथा संयंत्र हेतु जारी की गई अनुदान राशि वसूली योग्य होगी।
8. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र हेतु त्रि-पार्टी अनुबंध कृषक, जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (DHDS) प्रतिनिधि तथा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म के प्रतिनिधि के मध्य सम्पन्न किया जायेगा। अनुबंध की शर्तें संलग्नक- 2 के अनुसार रहेंगी।
9. कृषक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों/शपथ पत्रों में दी गई जानकारी के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। कृषक द्वारा गलत सूचना/शपथ पत्र देकर अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में अनुदान राशि नियमानुसार वसूली योग्य होगी।

16. योजना की रिमोट मॉनिटरिंग -

योजना की मॉनिटरिंग हेतु एमएनआरई द्वारा जारी दिशा-निर्देश तथा निविदा की शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा संयंत्र स्थापना के साथ रिमोट मोनेटरिंग सिस्टम आवश्यक रूप से स्थापित करना होगा।

1. रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना का आवश्यक भाग होगा व उक्त के अभाव में सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान देय नहीं होगा।


(दानवीर वर्मा)
संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

2. अनुबंधित फर्मस् द्वारा पीएम कुसुम सेन्ट्रल पोर्टल व स्टेट पोर्टल पर जीवन्त मॉनिटरिंग हेतु रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम इन्टीग्रेशन कार्य किया जाना व अन्य सूचनायें फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
3. फर्म द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम हेतु मोबाईल नम्बर को पांच वर्ष तक आवश्यक रूप से रिचार्ज कराना होगा।

17. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र वारंटी मरम्मत एवं मरम्मत नहीं किये जाने पर शास्ति प्रावधान:-

सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों के खराब होने पर मरम्मत एवं रखरखाव के सम्बन्ध में पालना सुनिश्चित करावे:-

1. एम्पेनलड फर्मस् द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र पर पांच वर्ष निःशुल्क मरम्मत एवं रखरखाव स्थानीय स्तर पर कराया जावेगा।
2. पम्प खराब होने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा शिकायत प्राप्त होने के अधिकतम तीन दिवस में पम्प संयंत्र को सुचारु रूप से दुरुस्त कराया जावेगा।
3. एम्पेनलड फर्मस् द्वारा हिन्दी भाषा में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की रखरखाव सम्बन्धित सूचना का फोल्डर कृषक को उपलब्ध कराया जावेगा।
4. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र खराब होने पर किसान द्वारा फर्म के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत करने की दिनांक या उद्यान कार्यालय द्वारा शिकायत सम्बन्धित फर्म को भेजने की दिनांक जो भी पहले हो, के तीन दिवस में यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा पम्प संयंत्र ठीक नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



(दानवीर वर्मा)

संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

विद्युत कनेक्शन विहिन कृषक हेतु भू-स्वामित्व मे जल-स्त्रोत अंकित होने पर देय

शपथ पत्र

मैं कृषक श्री/श्रीमति/सुश्री पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री.....
जाति निवासी..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ
कि :-

1. मेरे भू-स्वामित्व (रकबा है0) के खसरा न0 ग्राम
पटवार हल्का में सिंचाई स्त्रोत (कुआँ/नलकूप/फार्म पौण्ड/जलहौज/
डिग्गी इत्यादि) दर्ज/अंकित है।
2. यह जल स्त्रोत सिंचाई योग्य है तथा वर्तमान में सिंचाई डीजल चलित सिंचाई संयंत्र
द्वारा की जा रही है।
3. उक्त जल स्त्रोत में कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है।
4. कृषि/उद्यानिकी की नवीनतम तकनीकी अपनाकर खेती की जा रही है।

कृषक हस्ताक्षर

कृषक का नाम :
पता : ग्राम :
ग्राम पंचायत :
पंचायत समिति :
तहसील:
जिला :
मोबाईल नम्बर

प्रमाणित

कृषि पर्यवेक्षक/पटवारी
/जन प्रतिनिधि (वार्ड पंच/सरपंच)

 (दानवीर वर्मा)
संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कम्पोनेंट- बी
सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु त्रि-पार्टी अनुबंध

(500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पर)

प्रपत्र

(कृषक द्वारा वहन किया जावे)

त्रि-पार्टी अनुबंध

अनुबंध डीड का क्रियान्वयन आज दिनांक वर्ष स्थान....., जिला....., को डी. एच.डी.एस.....(प्रतिनिधि श्री), कृषक श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नि/पुत्री गॉव.....तहसील.....जिला..... राजस्थान एवं सोलर पम्प सेट कार्यदायी फर्म मैसर्स(प्रतिनिधि श्री), के बीच सम्पन्न किया गया जिसमें निम्न शर्तें संबंधित पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

1. कृषक अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं। संयंत्र की सामग्री/स्थापना पर देय अनुदान भुगतान मय कृषक हिस्सा राशि आपूर्तिकर्ता फर्म को करने के लिये कृषक सहमत है।
2. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक की मॉग पर खेत का सम्पूर्ण सर्वेक्षण, जिओ-टैगिंग तथा स्थापित किये जाने वाले सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की रूप-रेखा (डिजाईन) योजना के दिशा-निर्देशानुसार, निविदा की शर्तों के अनुसार तैयार की जावेगी। कृषक की आवश्यकता तथा रूप-रेखा (डिजाईन) के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये हैं। डिजाईन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी (Over/Under design) के लिये आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
3. कृषक वांछित क्षेत्र जिस पर सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किया जाना है, निश्चित समयावधि में पूर्ण/तैयार करने हेतु सहमत हैं।
4. जीएसटी की दरें परिवर्तित होने पर तदनुसार कृषक हिस्सा जमा कराने के लिए कृषक सहमत है।
5. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कोटेशन/प्रफोर्मा इनवाइस प्रस्तुत करने, त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने एवं नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी होने पर एवं सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना पर डी.एच.डी.एस./आर.एच.डी.एस. द्वारा दिशा-निर्देशानुसार कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
6. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी होने के पश्चात फर्म/पम्प श्रेणी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जावेगा।

(दानवीर वर्मा)

संयुक्त निदेशक, उद्यान

संयुक्त निदेशक, उद्यान

7. कृषक आपूर्तिकर्ता/फर्म को सामान रखने के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा एवं कृषक द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का संचालन विद्युत/बिजली कनेक्शन द्वारा नहीं किया जायेगा।
8. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म द्वारा 120 दिवस की समयावधि में सोलर पम्प सेट की सामान-आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य पूर्ण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति कर स्थापना कार्य पम्प संयंत्र स्थापना कार्य सम्पन्न नहीं करने पर सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्म पर नियमानुसार शास्ति कटौती की जावेगी।
9. अनुमोदित फर्म द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित होने पर राजकिसान साथी पोर्टल पर पम्प संयंत्र से संबंधित सूचना अपलोड की जावेगी जिससे कि जिला होर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (डीएचडीएस) 7 दिवस में संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सके।
10. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु अधिकृत फर्म भौतिक सत्यापन और प्रयोगिक परीक्षण जिला उद्यान कार्यालय द्वारा निर्धारित भौतिक सत्यापन कमेटी से करायेगी एवं संतोषजनक कार्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही भुगतान देय होगा।
11. डीएचडीएस द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टी के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
12. भौतिक सत्यापन एवं प्रायोगिक परीक्षण के उपरांत सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कृषक को सुपुर्दगी कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद देनी होगी।
13. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगने के 10 वर्ष की अवधि तक कृषक उसमें बदलाव, हटाना या किसी का बेचना व खुरद-बुरद नहीं करेगा। यदि ऐसा किया गया तो देय अनुदान वसूली योग्य होगा।
14. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का पांच वर्ष की अवधि का बीमा सम्बन्धित सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता स्तर से कराया जावेगा। कृषक सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता के पक्ष में संयंत्र से सम्बन्धित बीमा क्लेम प्राप्त करने के लिए सहमत है। आपूर्तिकर्ता फर्म को बिना किसी देरी के 7 दिवस में संयंत्र को चालू करना होगा।
15. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र की सुरक्षा एवं संरक्षा सम्बन्धित कृषक द्वारा की जावेगी। सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र के सौर पैनल या अन्य अवयव चोरी होने की स्थिति में लाभार्थी कृषक द्वारा अविलम्ब विभाग/आपूर्तिकर्ता फर्म को सूचित करते हुए संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी होगी।
16. डीएचडीएस या सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म कृषक की त्रुटि से संयंत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
17. कार्यदायी फर्म द्वारा सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापना से पांच वर्ष की गारण्टी/वारण्टी प्रदान की जावेगी। इसके पश्चात् आगामी पांच वर्ष तक विक्रय पश्चात् शुल्क लेकर सेवा प्रदान की जावेगी।

18. कार्यदायी फर्म के अनुबन्धित समयावधि में सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र में कोई बनावट संबंधी विकार या बनाते समय रही अन्य कमी एवं तय तकनीकी मापदण्डों अनुसार नहीं होने पर संयंत्र के कलपूर्जों/भाग को निःशुल्क बदलना होगा।
19. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म को रिपेयर/बदलने हेतु 3 दिवस का समय दिया जायेगा। इस कार्य हेतु लिखित में किसान की ओर से शिकायत/प्रार्थना जिला उद्यान कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। सामान बदलने का कार्य 3 दिवस में करना होगा ताकि कार्य पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े।
20. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र कार्यदायी फर्म कृषक के संयंत्र लगाने का रेखांकन (ले-आउट) कार्य उपलब्ध करायेगा, एवं रख रखाव संबंधी तकनीकी जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जावेगा।
21. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करने वाली फर्म द्वारा प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था की जावेगी, वर्ष में कुल 2 प्रशिक्षण कार्य होंगे।
22. सौर ऊर्जा पम्प 3/5/7.5/10 एचपी तक के संयंत्रों पर ही अनुदान देय होगा।
23. कार्यदायी फर्म इन्शोरेन्स, त्रि-पाटी अनुबन्ध एवं बिल की छाया प्रति इत्यादि कृषक को देने के लिए सहमत है।

एच.डी.एस प्रतिनिधि

सौर पम्प कार्यदायी फर्म प्रतिनिधि

कृषक

गवाह

Joint Commissioning Report for Physical verification (JCR)

प्रमाणित किया जाता है कि पीएम कुसुम योजना कम्पोनेंट- बी सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना के तहत कृषक श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ग्राम पंचायत समिति/तहसील जिला के खेत पर हमारे द्वारा आज दिनांक को सोलर पम्प संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम :-
2. स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र का विवरण :-

पम्प क्षमता- 3/5/7.5/10 एचपी	
पम्प का प्रकार- सरफेस/सबमर्सिबल	
ऊर्जा पम्प श्रेणी- एसी/डीसी	
कन्ट्रोलर का प्रकार- सामान्य/यूएसपीसी	

3. कृषक द्वारा अपनाई गई सूक्ष्म सिचाई:- ड्रिप/स्प्रिंकलर/मिनी स्प्रिंकलर/ग्रीन हाउस/अन्य
4. कृषक द्वारा अपनायी जाने वाली उद्यानिकी गतिविधियां:-
5. सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र को चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया तथा कृषक संतुष्ट हैं:- हाँ/नहीं
6. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है:-

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता :-

कृषक

फर्म प्रतिनिधि

उद्यानिकी/कृषि विभाग का अधिकारी



(दानवीर वर्मा)

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक: प. 9 (118) आ.उ./पीएम कुसुम/जीएल/2025-26/1986-2115

दिनांक:- 07-10-2025

समस्त उप निदेशक उद्यान

समस्त जिला

विषय:- पीएम कुसुम कम्पोनेंट- बी परियोजना अन्तर्गत स्थापित सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की संशोधित जीएसटी के अनुसार नवीन संशोधित दरों व अनुदान के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- उद्यान आयुक्तालय के पत्रांक 5781-5980 दिनांक 26.03.2025 द्वारा जारी दिशानिर्देश।

पीएम कुसुम कम्पोनेंट- बी ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र परियोजना हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी पम्प संयंत्र की दरों पर दिनांक 22.09.2025 से नवीन जीएसटी प्रभावी होने से नवीन दर व अनुदान निम्नानुसार होंगे:-

Solar pump category wise revised rate and subsidy effective from 22.09.2025						
S.N.	Pump Category	L-1 Price with GST from 22.09.2025	General Farmer		Additional subsidy for SC/ST Farmer	
			Subsidy	Farmer share	Additional subsidy	Farmer share
1	3 HP AC Surface normal controller	202933	109392	93541	45000	48541
2	3 HP DC Surface normal controller	202933	109392	93541	45000	48541
3	3 HP AC Submercible normal controller	206162	109392	96770	45000	51770
4	3 HP DC Submercible normal controller	206162	109392	96770	45000	51770
5	3 HP AC Surface USPC controller	236858	109392	127466	45000	82466
6	3 HP DC Surface USPC controller	243936	109392	134544	45000	89544
7	3 HP AC Submercible USPC controller	242303	109392	132911	45000	87911
8	3 HP DC Submercible USPC controller	248185	109392	138793	45000	93793
9	5 HP AC Surface normal controller	290418	168518	121900	45000	76900
10	5 HP DC Surface normal controller	290418	168518	121900	45000	76900
11	5 HP AC Submercible normal controller	292174	168518	123656	45000	78656
12	5 HP DC Submercible normal controller	292174	168518	123656	45000	78656
13	5 HP AC Surface USPC controller	340313	168518	171795	45000	126795
14	5 HP DC Surface USPC controller	350114	168518	181596	45000	136596
15	5 HP AC Submercible USPC controller	345866	168518	177348	45000	132348
16	5 HP DC Submercible USPC controller	348480	168518	179962	45000	134962
17	7.5 HP AC Surface normal controller	399597	228406	171191	45000	126191
18	7.5 HP DC Surface normal controller	410965	228406	182559	45000	137559
19	7.5 HP AC Submercible normal controller	402032	228406	173626	45000	128626
20	7.5 HP DC Submercible normal controller	433803	228406	205397	45000	160397
21	7.5 HP AC Surface USPC controller	452480	228406	224074	45000	179074
22	7.5 HP DC Surface USPC controller	467508	228406	239102	45000	194102
23	7.5 HP AC Submercible USPC controller	456291	228406	227885	45000	182885
24	7.5 HP DC Submercible USPC controller	462825	228406	234419	45000	189419
25	10 HP AC Submercible normal controller	556212	228406	327806	45000	282806
26	10 HP DC Submercible normal controller	556212	228406	327806	45000	282806
27	10 HP AC Submercible USPC controller	601691	228406	373285	45000	328285
28	10 HP DC Submercible USPC controller	601691	228406	373285	45000	328285

नवीन दरों अनुसार स्वीकृतियां जारी किये जाने हेतु संक्षिप्त दिशानिर्देश इस प्रकार है:-

- दिनांक 22.09.2025 से पूर्व फर्म द्वारा जारी बिलों की पत्रावलियों पर संयंत्र की दरे व अनुदान पुराने प्रावधान अनुसार ही यथावत रहेगा।

Signature valid

Digitally signed by Harendra Kumar Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2025.10.07 16:31:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18187054
eSign 1.0



2. उक्त दरें समस्त नवीन प्रशासनिक स्वीकृति एवं नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) हेतु प्रभावी होगी।
3. जिन पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृति जिनकी कृषक हिस्सा राशि जमा नहीं हुई है/जमा हो गई है तथा नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी नहीं हुये है उन सभी पत्रावलियों की नई दरों से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की जानी है।
4. जिन पत्रावलियों की नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी की गई है तथा दिनांक 22.09.2025 से पूर्व फर्म द्वारा बिल जारी नहीं किया गया है ऐसी पत्रावलियों का नवीन दरों अनुसार संशोधित नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी किया जावें।
5. ऐसे कृषक जिनके पुरानी दरों से कृषक हिस्सा राशि कार्यालय में जमा है तथा दिनांक 22.09.2025 से पूर्व फर्म द्वारा बिल जारी नहीं किया गया है संशोधित स्वीकृतियां जारी कर अधिक जमा कृषक हिस्सा राशि कृषक को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

यह आयुक्त उद्यानिकी से अनुमोदित है।

(हीरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक उद्यान,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प. 9 (118) आ.उ./पीएम कुसुम/जीएल/2025-26/1986-2115

दिनांक:- 07-10-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), कृषि खण्ड समस्त।
2. संयुक्त निदेशक उद्यान समस्त खण्ड।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद समस्त।
4. समस्त सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता फर्मस को भेजकर लेख है कि आपके पक्ष में पुरानी दरों पर जारी कार्यादेश जिनके विरुद्ध बिल जारी नहीं किये गये है उनका संशोधित नोटिस टू प्रोसिड (कार्यादेश) जारी करवाकर ही सामग्री आपूर्ति किये जाने की कार्यवाही करावें।

अतिरिक्त निदेशक उद्यान,
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Heerendra Kumar
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2025.10.07 16:31:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18187054
eSign 1.0